उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

आदेश

क्रमांक सी/4999 / जबलपुर, दिनाँक ......23.... नवम्बर, 2019
(तीन–18–1/2019)

(ए) जिला एवं सत्र न्यायालयों की स्थापनाओं पर कार्यरत नीचे दी गई सारिणी के स्तंभ क्रमांक (2) में दर्शाये गये प्रशासनिक अधिकारियों (पुराना पदनाम न्यायालय अधीक्षक) को उसी हैसियत से स्थानांतरित कर, सारिणी के स्तंभ क्रमांक (3) में दर्शायी गयी वर्तमान स्थापना से स्तंभ क्रमांक (4) में दर्शायी गयी स्थापना पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनॉक से पदस्थ किया जाता है, अर्थात् :–

क्रं0	प्रशासनिक अधिकारी का नाम	कहाँ से	कहाँ को	विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	श्री प्रभुदयाल गुप्ता	शहडोल	रीवा	श्री एस.के. रजक के स्थानांतरण के फलस्वरूप रिक्त हुए पद पर
2	श्री सुरेन्द्र कुमार रजक	रीवा	हरदा	रिक्त पद पर

(बी) अधीनस्थ न्यायालय में पदस्थ नीचे दी गई सारिणी के स्तंभ क्रमांक–(2) में दर्शाये गये उप–प्रशासनिक अधिकारी (पुराना पदनाम न्यायालय उपाधीक्षक) की पदोन्नति प्रशासनिक अधिकारी (पुराना पदनाम न्यायालय अधीक्षक) के पद पर, सांतवे वेतनमान के अंतर्गत लेवल–12 के वेतमान रूपये **56,100–1,77,500 रूपये** में की जाकर, सारिणी के स्तंभ क्रमांक (3) में दर्शायी गयी वर्तमान स्थापना से स्तंभ क्रमांक (4) में दर्शायी गयी स्थापना पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनॉक से अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त की जाती है :–

क्रं.	उप–प्रशासनिक अधिकारी का नाम	कहाँ से	कहाँ को	विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	श्री मदन वड़नेरकर	कुटु.न्याया., विदिशा	शहडोल	पदोन्नति पर श्री पी.डी. गुप्ता के स्थानांतरण के फलस्वरूप रिक्त हुए पद पर

नोट :–

(1) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ./सी–6–2/94/31/1, दिनॉक 30.06.1994 में दिये गये निर्देशों के अनुसार श्री मदन वडनेरकर को प्रशासनिक अधिकारी के पद पर आगामी आदेश तक स्थानापन्न (substitute) पदोन्नत किया जा रहा है।

23.11.19

//2//

(2) **रजिस्ट्री पृष्ठांकन क्रमांक Reg(IT)(SA)/2018/368, दिनाँक 01.03.2018 के द्वारा स्थानांतरण एवं पदस्थापना संबंधी आदेशों की प्रिंटिंग, फोटोकापी एवं सायक्लोस्टाइल किया जाना बंद कर दिया गया है। अतः उक्त आदेश के तारतम्य में समस्त संबंधितों को सूचित किया जाता है कि वे आदेश की प्रति डाउनलोड करें व तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही कर, पालन सुनिश्चित करें।**

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय
के आदेशानुसार

{राजेन्द्र कुमार वाणी}
रजिस्ट्रार जनरल

पृ0क्रं0 **सी/5000 /** जबलपुर, दिनाँक ......**23**.... नवम्बर, 2019
(तीन–18–1/2019)

प्रतिलिपि :–

(1) जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल/ रीवा/ हरदा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित,

(2) प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, विदिशा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित,

स्थानांतरित एवं पदोन्नत कर्मचारियों को अपनी पदस्थापना से इस प्रकार कार्यमुक्त कर, निर्देश देवें कि उनके द्वारा नवीन पदस्थापना पर **दिनाँक 05.12.2019 (पाँच दिसम्बर सन् दो हजार उन्नीस)** तक कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित किया जा सके। संबंधित कर्मचारियों को भारमुक्त करने एवं कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से रजिस्ट्री को यथाशीघ्र अवगत करावें।

(3) रजिस्ट्रार (डी0ई0) के निज सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर।

(4) चीफ सिस्टम एनालिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर आदेश की प्रतिलिपि मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु अग्रेषित।

(5) प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक), जिला स्थापना शाखा, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

(6) श्री प्रभुदयाल गुप्ता, प्रशासनिक अधिकारी, कार्या. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल,

(7) श्री सुरेन्द्र कुमार रजक, प्रशासनिक अधिकारी, कार्या. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा,

(8) श्री मदन वडनेरकर, उप–प्रशासनिक अधिकारी, कार्या. प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, विदिशा,

की ओर सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ अग्रेषित कर, निर्देशित किया जाता है कि स्थानांतरित एवं पदोन्नत कर्मचारी अपनी वर्तमान पदस्थापना के स्थान पर इस प्रकार कार्यभार सौंपे कि पदस्थापना के नये स्थान पर **दिनाँक 05.12.2019 (पाँच दिसम्बर सन् दो हजार उन्नीस)** तक अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण कर सकें।

23-11-19
{बी.पी. शर्मा}
रजिस्ट्रार (डी.ई.)

****